न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.215 / अपील / 2018 (GCMS No. 2018 / 00342)	14.05.2018	16.12.2024

1. छीतर आ. बरधा जाति चमार, निवासी रामपुरा धोला का, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
2. फोरू आ. बरधा जाति चमार, निवासी रामपुरा धोला का, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

— अपीलान्टस

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

बनाम

1. मुकेश आ. रामा जाति चमार निवासी रामपुरा धोला का, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
2. हनुमान आ. रामा जाति चमार निवासी रामपुरा धोला का, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
3. चन्द्रप्रकाश आ. रामा जाति चमार निवासी रामपुरा धोला का, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री राजकुमार गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 15.02.1978 ग्राम रामपुरा धोला का से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण आवंटन से रामा आ. छीतर जाति चमार के पक्ष में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 215/2018 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2018/00342 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। वकील रेस्पो.की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि अपीलांटस द्वारा उक्त भूमि के संबंध में एक वाद 358/2016 छीतर बनाम मुकेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में सन 2016 में ही प्रस्तुत कर दिया था जिसमें वादकरण की दिनांक 03.12.2015 अंकित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही थी, उनके द्वारा वर्ष 2018 में जानकारी होना पूर्णतया असत्य होने से अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावें।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 19 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा सं. 100 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा जिसके पुराने नम्बर 14 मिन वाके ग्राम रामपुरा धोला का है, जो खसरा परिवर्तनशील में अपीलांटस के पिता बख्शा पुत्र खाना जाति चमार के नाम दर्ज होने से दिनांक 03.11.1977 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उनको आवंटित की गयी थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने आवंटन के अनुसार अपीलांट के पिता बख्शा का नाम दर्ज नहीं करके उसके स्थान पर रेस्पो.सं.1 लगायत 3 के पिता रामा का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया जबकि उक्त भूमि रामा को आवंटित नहीं हुई थी, अपितु रामा पुत्र छीतर चमार को खसरा सं. 92 रकबा 7 बीघा कृषि भूमि दिनांक 03.11.1977 को आवंटित हुई थी। अपीलांट के पिता बख्शा की मृत्यु करीब 3-4 वर्ष पूर्व हो चुकी है, आवंटी बख्शा अपने जीवनकाल में उक्त आवंटित भूमि पर काबिज काश्त रहे है, उनके बाद से ही अपीलांटस उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। वर्ष 2018 में ओलावृष्टि के होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित होने वाले काश्तकारों को फसल खराबे की मुआवजा राशि दिये जाने के वक्त जब उक्त कृषि भूमि के खराबे की मुआवजा राशि अपीलांट को न मिलकर रेस्पो. को प्राप्त हुई तब अपीलांट द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। उक्त नाम0 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.04.18 को आवेदन किया, जिस पर नामान्तरकरण की सत्य प्रति दिनांक 07.05.18 को प्राप्त होने पर यह अपील अवधि मध्य पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा 2011 आरआरडी पेज 11, 1998 आरआरडी पेज 319, 1992 आरआरडी पेज 21, 1982 आरआरडी पेज 332, 1992 आरआरडी पेज 17 की नजीरे पेश करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलांटस का नाम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांटस ने स्वयं को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज होना बताया है, तो उक्त भूमि के खाते की अपीलांटस के पिता तथा अपीलांटस को करीब 40 वर्ष गुजर जाने तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह कतई विश्सनीय नहीं है जबकि किसानों को समय समय पर राजस्व रिकार्ड की जरूरत होने से खाते में दर्ज नामों की पूरी जानकारी रहती है। अपीलांटस द्वारा उक्त भूमि के संबंध में एक वाद 358/2016 बउनवान छीतर बनाम मुकेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में सन 2016 में ही प्रस्तुत कर दिया था, उक्त वाद पत्र में अपीलांट द्वारा अंकित किया गया कि वादीगण के पिता बरधा को आवंटित हुई कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण ने दिनांक 03.12.2015 को उक्त गलत हुये इन्द्राज को सही करवाने हेतु प्रतिवादी से कहा तो मना कर दिया, जिसमें वादकरण की दिनांक 03.12.2015 अंकित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2018 से पूर्व से ही रही थी। अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु काफी विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया गया। अपीलांटस द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पो. द्वारा बहस मेरिट पर निवेदन किया गया कि रेस्पो.सं.1 लगायत 3 के पिता रामा का पुराने खसरा संख्या 14 मिन में कब्जा काश्त रहा है जिससे उक्त खसरा नम्बर के नये नम्बर में से 7 बीघा भूमि का आवंटन रामा को किया गया, जिसके संबंध में ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया। बरधा के पक्ष में किया गया आवंटन उप जिलाधीश बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 30.05.86 से निरस्त किया जा चुका है। अपीलांटस की ओर से दायर अधिकार घोषणा का वाद सं. 358/2016 बउनवान छीतर बनाम मुकेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां लम्बित है। रेगूलर सूट में पक्षकारों के हक हकूक साक्ष्य द्वारा निर्धारित होने है। इसलिए नामान्तरकरण की समरी प्रोसिडिंग में रेस्पो. को प्राप्त Valuable rights से 40 वर्ष बाद वंचित नही किया जा सकता है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपने कथन के समर्थन में 1991 आरआरडी पेज 164, 2011 आरआरडी पेज 228, 2012 आरआरडी पेज 742, 1994 आरआरडी पेज 129, 2019 डीएनजे पेज 39 एवं 131, 2005 आरआरडी पेज 85 एवं पेज 310, 2003 आरआरडी पेज 415 की नजीरें पेश की जाकर अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांट द्वारा ग्राम रामपुरा धोला का में विस्थित आराजी खसरा सं. 19 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा तथा ख.सं. 100 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा बाबत तस्दीक नामान्तरकरण सं.67 दिनांक 15.02.1978 को विधिविरूद्ध मानते हुये इसके विरूद्ध यह अपील पेश की जाकर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 15.02.1978 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 08.05.2018 को 40 वर्ष गुजर जाने के बाद इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 24.04.2018 को होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के यहां वादी छीतर द्वारा पेश राजस्व वाद संख्या 358/दावा/2016 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकट है कि वादी छीतर द्वारा उक्त वाद पत्र के बिन्दू सं. 7 में अंकित किया कि वादीगण के पिता बरधा को आवंटित हुई कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वाद पत्र के बिन्दू सं. 11 में अंकित किया है कि वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण ने दिनांक 03.12.2015 को उक्त गलत हुये इन्द्राज को सही करवाने हेतु प्रतिवादी से कहा तो मना कर दिया, जिसमें वादकरण की दिनांक 03.12.2015 अंकित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 24.04.18 से पूर्व से दिनांक 03.12.2015 को ही हो चुकी थी। इसके बाजवूद अपीलांट द्वारा दिनांक 24.04.18 को जानकारी होने का तथ्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। इससे प्रमाणित होता है कि अपीलांट हस्तगत अपील में क्लीन हेन्ड से नहीं आया है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में जानकारी होने के बाद भी निर्धारित समयसीमा में अपील पेश नहीं करने कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जिससे हस्तगत अपील में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी